17.4.26

पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी SM माजिद उपस्थित, अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया की मौजा भरेव परवार कल्ला भरेव के रवाना सं. नया 270 पुराना 275 में

| तारीख हुक्म/हस्ताक्षर पार्टी | कार्यवाही विवरण | |
|---|---|---|
| | मे वर्णित आराजी 1017/17 रकबा 1.7280 हेक्टेयर भूमी, एवं खाता सं. नया 53 पुराना 51 मे वर्णित आराजी 167, 168, 169, 222, 223 249/1, 249/2, 270 कुल किता 8 कुल रकबा 3.0132 हेक्टेयर भूमी, व खाता नं. नया 262 पुराना 267 मे वर्णित आराजीयात 1018, 1019/1, 1055, 1056, 1058, 853, 854/1 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2636 हेक्टेयर भूमी स्थित है जो की प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी है. प्रतिवादीगण संयुक्त सम्पति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है, तथा मकान निर्माण करने हेतु पत्थर डाले जा रहे, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया गया तो प्रतिवादीयो की संख्या ज्यादा होने व अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने को उतारू हो गये अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है अत: अपनी अन्तिम बहस के अंत मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोकने व रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने तथा उक्त भूमी बेचान खुर्द-बुर्द नही करने बाबत मूल वाद निस्तारण होने तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया गया, श्रीमान वादी की एक तरफा अन्तिम बहस पर मनन किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया. मौजा मरेव के खाता सं. 270, खाता सं. 53 खाता सं. 262 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है. जब तक संयुक्त खातेदारी का विधिवत विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक इंच का मालीक एवं स्वामी होता है, अप्रार्थी संयुक्त भूमीपर कब्जा करने हेतु आमादा है जिससे ~~प्रथ~~ प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे | |

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा                पत्रावली संख्या                सन

| तारीख हुक्म | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी |
|---|---|---|
| | होना प्रतीत होता है. ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है.<br><br>अतः मौजा भरेव पटवार हल्का भरेव की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 270, 53, 262 मे वर्णित आराजी की भूमि के मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व संयुक्त सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नही करने हेतु उभयपक्ष को मूल वाद निस्तारण होने तक उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, साथ ही तहसीलदार लसाडिया को जमाबन्दी मे स्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित करने हेतु लिखा जावे, ता फैसला मूल वाद के साथ संलग्न रहे।<br><br>पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम कि जावे।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। | |